न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री दीपेन्द्रसिंह राठौर आर0ए0एस0. उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या– 78/2006 राजस्व वाद
दायर दिनांक– 10.3.2006
फैसल दिनांक– 4/5/16

1/1 – भरवर पिता आशाजी रेबारी निवासी चिबूडा ।
आशा पिता भूराजी रेबारी निवासी चिबूडा की ढाणी तहसील सागवाडा के कायम मुकाम

(वादी)

बनाम

1– श्री वागा पिता गभीराजी रेबारी
2– श्री नारायण पिता गभीराजी रेबारी
3– श्री मूलजी पिता कलाजी रेबारी
4– श्री पूंजा पिता कलाजी रेबारी
5– श्री जीवा पिता गोविन्दजी रेबारी
6– श्री रता पिता श्री शंकरजी रेबारी निवासी चिबूडा की ढाणी तहसील सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – श्री शंकरसिंह सोलंकी

वकील प्रतिवादीगण – श्री दिनेश चौबिसा

–

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 188 राज0टि0एक्ट

निर्णय

वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के खाते की आराजी नम्बर 491 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा एंव प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3 के खाते की आराजी नं0509 ग्राम चिबूडा में पास पास स्थित हैं । वादी की आराजी के पश्चिम मे प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3 की आराजी है । यह कि प्रतिवादीगण एंव वादी की आराजी के मध्य में प्रतिवादीगण की आराजी नं0 509 की भूमि में होकर दक्षिण उत्तर चार फीट चौडा रास्ता जाता है इस रास्ते से होकर श्रद्धालू भैरवजी मन्दिर पर दर्शन हेतु जाते हैं मन्दिर के आगे बीड एंव खेतों पर जाने के लिए ग्रामवासी इसी रास्ते से होकर जाते आते रहते हैं ।दक्षिण में यह रास्ता गॉव के आम

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

रास्ते से मिलता है। यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण को भी यह जानकारी नहीं थी कि यह रास्ता जिसका उपयोग गत करीब 60 वर्ष से जनता द्धारा होता आ रहा है प्रतिवादी के खाते की आराजी नम्बर 503 की भूमि है । प्रतिवादीगण ने रास्ते की भूमि खेत में मिलाने रास्ते एंव आराजी के मध्य की बाड काट कर रास्ते की भूमि खेड डाली । यह कि रास्ते के पश्चिम में प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 509 की 60 वर्ष पुरानी थूअर की बाड थी बाड के अन्दर एंव बाड के सहारे प्रतिवादीगण के पुराने वृक्ष थे तथा रास्ते के पूर्व में वादी की आराजी की थुअर की बाड 60 वर्ष पुरानी एवं वृक्ष है।यह कि प्रतिवादीगण के वादी की आराजी नम्बर 491 मे रास्ता निकालने रास्ता स्थापित करने का कोई हक अधिकार नही है रास्ता प्रतिवादीगण की आराजी में होकर वादी की आराजी नम्बर 491 की थुअर की बाड के पश्चिम दिशा में गूजरता था तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 , 2 द्धारा प्रतिवादीगण संख्या 3,4,5 के सहयोग से अपनी थुअर की बाड काट देने एवं रास्ता खेड देने के बाद भी लोग वहीं से होकर गूजर रहे है आवागमन कर रहे है प्रतिवादीगण वादी की आराजी की थुअर की बाड कर वादी की आरजी में होकर नया रास्ता निकालने पर उतारू है जिन्हें ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है । वादी ने वाद के अन्त में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण वादी की आराजी नम्बर 491 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा ग्राम चिबूडा की ढाणी पर अतिकमण नहीं करें वादी के खेत की पश्चिम दिशा की थुअर की बाड एवं बा डमें तथा बाड के पास स्थित वृक्षों को नही काटे पानी की टंकी नहीं गिरावें वादी की आराजी में होकर रास्ता नहीं निकाले आरजी को खूर्द बूर्द नही करें किसी अन्य अधिकारी एजेण्ट मजदूर आदि से किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहूँचावें ।

वादी की ओर से वाद की पुष्टि में वाद के साथ शपथ पत्र एंव दस्तावेज नकल पर्चा मौका प्रशासन गॉवों के संग अभियान एवं कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादीगण की ओर से दिनरांक 19/7/2002 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण के खेत पास में होना स्वीकार करते हुए खसरा संख्या 491 वादी के खातेदारी का एंव खसरा संख्या 504,505,503 श्री वागा ,नारायण के खातेदारी का होना ,प्रतिवादी श्री वागा ,नारायण के खसरा नम्बर 503,504,505 में से चार फीट चौडा रास्ता दक्षिण उत्तर नही जाकर खसरा नम्बर 503,504,506और 491 के सीमा पर से बेलगाडी हल बेल के आवागमन हेतु गॉव की आबादी से रास्ता भैरव मन्दिर की ओर से सदीप से कायम रहा है।प्रतिवादीगण वागा,नारायण के खेत खसरा नम्बर 501,503,504 की बाड यथावत मौजूद है ।वाद के अन्त में प्रतिवादीगण नया रास्ता कायम करना नहीं चाहते खसरा नंबर 491 की पश्चिमी सीमा से रास्ता आवागमन का अभी भी चालू है ।भैरवजी के मन्दिर में और पूॅजा के कुआं पर इसी रास्ते से आवागमन हो रहा है ,चालू रास्ते के उपयोग उपभोग करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्याय संगत नहीं है ।

उपखण्ड अधिकारी

सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

जवाबदावा प्रस्तुत होने पर वाद एंव जवाबदावा के आधार पर निम्नांकित वाद बिन्दु कायम किए गए :–

1–आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द कराने का हकदार है कि खसरा नम्बर 491 पर अतिकमण नहीं करें तथा वृक्ष बाड आदि नहीं काटे ? (वादी)

2– दादरसी ?

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई । वादी की ओर से साक्ष्य में पीडब्लू–1 आशा के बयान करा साक्ष्य बन्द कराने से साक्ष्य प्रतिवादी प्रारम्भ की गई ,प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने पर भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किए जाने से दिनांक 10/2/2015 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई ।

दौराने कार्यवाही दिनांक 3/3/2015 को वकील वादी ने वादी की मृत्यु हो जाने से संशोधित अनवान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान की बहस सूनी जाकर निर्णय दिनांक 6–10–2015 अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित अनवान प्रस्तुत होने पर प्रति वकील प्रतिवादी को दी गई ।

वारीसान की तलबी के दौरान पक्षकारान वकील ने प्रकरण में राजीनामा की संभावना व्यक्त करते हुए राजीनामा प्रस्तुत करने का अवसर चाहा ।

दिनांक 29/3/2016 को पक्षकारान वकील द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया राजीनामा दिनांक 12/4/16 को तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतः प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद वादी स्वीकार एवं डिक्री किया जाता है कि राजीनामा अनुसार पक्षकारान द्वारा मन्दिर पर आम जनता के लिए आने जाने 10 दस फीट चौडी रास्ते की भूमि अपने अपने खाते के आराजी में से पॉच–पॉच फीट जमीन छोडी है वह हमेशा के लिए कायम रहेगा भविष्य में कोई भी पक्ष रास्ते के लिए छोडी गई जमीन पर अतिक्रमण नहीं करेगा ।भैरवजी मन्दिर पर रास्ते के लिए छोडी गई जमीन में से होकर आम जनता मन्दिर पर दर्शन के लिए आ जा सकेंगे अपना साधन ले जा सकेगे पक्षकारगण रूकावट नहीं करेंगे ।

डिक्री पर्चा जारी हो । निर्णय आज दिनांक 4.5.16 को सरे ईजलास सुनाया गया । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे । पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम हो ।

(दीपेन्द्रसिंह राठौर)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner